11/2/2020

बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया।

दावा पत्र के गुणावगुण पर विवेचना किये बिना हम प्रथम दृष्टया यह पाते है कि मौजूदा वाद पत्र शुद्धिकरण बाबत है जिसमें साक्ष्य ग्रहण करने के उपरान्त ही इन्द्राज दुरुस्ती बाबत इन्द्राज किया जाना है। वादीगण काश्तकार पेशा है। जिसे अपने वादग्रस्त आराजियात को विक्रय करने हेतु चाहे कि आवश्यकता है अतः हमारे विनम्र अभिमत में हाल खं० नं० 1464 रकबा 0.01 है० मे० मु० स्थान है वादीगण की खातेदारी भूमि साबिक खं० नं० 506/3 रकबा 8 बीघा के हाल खसरा नम्बर 1519 रकबा 2.02 है० कायम करते हुये तथा साबिक खं० नं० 476 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा के नये खं० नं० 1459 रकबा 0.06 है० खं० नं० 1460 रकबा 0.06 है० खं० नं० 1461 रकबा 0.37 है० खं० नं० 1462 रकबा 0.51 है० ख० नं० 1463 रकबा 0.27 है०, ख० नं० 1464 रकबा 0.01 है० ख० नं० 1465 रकबा 1.33 है० कुल किता 7 कुल रकबा 2.61 है० कायम किये वादीगण के हिस्से की आराजियात में विक्रय करने से प्रतिवादीगण ना० फैसला तथा अपना अन्य आदेश एव मजामत व मदाखलत उत्पन्न न करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद पत्र के साथ शामिल हो।

(हस्ताक्षर)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Karol
Date: 2020.06.09 17:32:51 IST
Reason: SelfAttested